

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

(National Education Policy 2020: Challenges and Possibilities)

डॉ. दिनेशकुमारयादवः

सहायकाचार्यः, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय, संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

Article Info

Volume 5, Issue 2

Page Number : 131-136

Publication Issue :

March-April-2022

Article History

Accepted : 02 March 2022

Published : 20 March 2022

शोधसार-

करीब साढ़े तीन दशकों की लंबी प्रतीक्षा के बाद देश को नई शिक्षा नीति (NEP) की सौगात मिली है। इसे तैयार करने में जितने अधिक अंशभागियों का सहयोग मिला वह अपने आप में एक मिसाल है। यह कवायद देश में जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। शुरुआती दस्तावेज तैयार करना और उन पर आए सुझावों का संकलन कर उसे नीति का रूप देना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में इसे अंजाम दिया गया। आमूलचूल बदलावों वाली इस नीति को तैयार करने में पांच वर्षों तक जमीनी स्तर पर जो काम हुआ वह खासा चुनौतीपूर्ण था।

मौजूदा 10+2+3+2 ढांचे के स्थान पर 5+3+3+2 की मल्टी एंटी और एग्जिट वाली नई रूपरेखा नवाचारी एवं महत्वाकांक्षी होने के साथ तमाम चुनौतियों से भी भरी है। कौशल मापन, व्यावसायिक शिक्षा, समानता, गुणवत्ता, विभिन्न धाराओं की शिक्षा, स्थानीय एवं वैश्विक मिश्रण, समावेशी एवं द्विपक्षीय समझ, विक्षेपणात्मक समझ का विकास, बस्ते का हल्का बोझ, शिक्षा जोन, कम पाठ्यक्रम, अन्वेषण पर जोर, चर्चा, विमर्श, शोध एवं नवाचार पर ध्यान, कॉलेजों को स्वायत्तता और शुरुआती दौर में बेहतर पढ़ाई के लिए मातृभाषा में अध्ययन वास्तव में बहुत अच्छे विचार हैं।

भारत में एकसमान शैक्षणिक प्रणाली लागू करना बहुत ही मुश्किल काम है, ताकि प्रत्येक छात्र को एक जैसी शिक्षा और सुविधाएं मिल सकें। ऐसी स्थिति में एनईपी को लागू करना टेढ़ी खीर होगा। सबसे

महत्वपूर्ण कदम तो यही होगा कि क्या सोचना है के बजाय कैसे सोचना है वाला बदलाव आकार ले। यदि गुणवत्ता बढ़ाने वाले कदमों पर जोर दिया जाए तो आत्मप्रेरणा के साथ तंत्र से मिलने वाला प्रोत्साहन एनईपी के लक्ष्यों को आसान बना देगा।

मुख्य शब्द - राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, चुनौतियाँ, अध्यापक शिक्षा , संभावनाएँ

चर्चा में क्यों ?

- प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय केबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है।
- 1986 के बाद लगभग 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है।
- 1968 और 1986 के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आया है।
- इसरो के प्रमुख रह चुके डॉ. के. कस्तुरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने इस शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था ।
- अब मानव “संसाधन विकास मंत्रालय” नाम परिवर्तन करके “शिक्षा मंत्रालय” किया गया।

स्कूली शिक्षा में बदलाव-

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट की जगह 5+3+3+4 के हिसाब से होगा स्कूली पाठ्यक्रम ।
- प्रीप्रेटरी स्टेज के तहत कक्षा तीन से पाँच तक की होगी पढ़ाई।
- कक्षा छठी से ही प्रोफेशनल और कौशल विकास कोर्स की शुरुआत की गई है।
- अब साल में दो बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ ओब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे।
- जहाँ तक सम्भव हो सके 5वीं या 8वीं तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा या त्री भाषा फॉर्मूला में कम से कम दो भारतीय भाषाएँ सम्मिलित हो।

उच्च शिक्षा में परिवर्तन-

- ❖ उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया।
- ❖ क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक “Academic Bank Credit” की नई पहल शुरुआत किया गया।

- ❖ 4 साल की डिग्रीकरणे वाले स्टूडेंट्स एक साल में M.A. कर सीधे Ph.D. कर सकेंगे।
- ❖ उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% Gross Enrolment Ratio पहुंचाने का लक्ष्य 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की योजना बनाई गई है।
- ❖ 2030 तक या उसके बाद हर जिले में कम से कम एक बहु विषयक (Multidisciplinary) संस्था होने की संस्तुति की गई है।

अन्य घोषणाएँ -

- उच्च शिक्षा में UGC, AICTE, NCTE की जगह अब एक ही नियामक होंगे।
- टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटीज को भारत में अपना ब्रांच खोलने की अनुमति होगी।
- अनुसन्धान संस्कृति एवं अनुसन्धान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गठन।
- इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की योजना।
- सभी भाषाओं के लिए संरक्षण विकास और उन्हें जीवन्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी, और प्राकृत भाषाओं के लिए अनुदान संस्था की स्थापना।

चुनौतियां -

1. CBSE के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली के मुताबिक 'नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे बदलाव लाई है और इन्हें लागू करने के लिए शिक्षक के माइंडसेट और स्किलसेट दोनों पर ही काम करने की जरूरत है।
2. नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव तीन साल से छह साल की उम्र के छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए औपचारिक शिक्षा में प्रवेश कराने को लेकर माना जा रहा है। लेकिन क्या आंगनबाड़ी केंद्र इसके लिए दक्ष हैं?
3. नई नीति के तहत अब 12 की जगह 15 साल की स्कूली व्यवस्था पर फोकस है। प्री स्कूल पर ध्यान बढ़ेगा। देशभर में एक पैटर्न पर करिकुलम भी होगा। लेकिन प्रशासनिक तौर पर इतने बड़े स्तर पर यह कैसे संभव होगा? ये आने वाले कुछ वर्षों में साफ होगा।
4. नई नीति के तहत सरकार बच्चों के विकास के लिए एक्सपेरिमेंटल, इनोवेटिव लर्निंग जैसे बदलाव लाई है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए ट्रेड टीचर की कमी है।
5. शिक्षा नीति में ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, लेकिन कई लोगों के पास साधन नहीं हैं। ऐसे में लागू करने से पहले उस पर गंभीरता से विचार करना होगा।
6. माध्यमिक शिक्षा में 5+3+3+4 पैटर्न लागू करने की बात कही गई है। यानी माध्यमिक शिक्षा अब 12 साल की बजाए 14 साल की होगी। अब सवाल यह है कि इसका विभाजन कैसे होगा?

7. सरकार ने उच्च शिक्षा में प्रवेश न्यूनतम 50 फीसदी करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन यह साफ नहीं किया कि इस शिक्षा नीति से पढ़कर निकले छात्र बाजार की चुनौतियों के लिए कितने सक्षम होंगे।
8. जहाँ 2017-2018 में भारत सरकार ने जीडीपी (GDP) का महज 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया वहाँ नई शिक्षा नीति के तहत 6% का लक्ष्य हासिल करना एक चुनौति पूर्ण कार्य होगा। हालांकि 1986 में यही बात कही गई थी लेकिन तत्वीर कुछ अलग बताते हैं। साल 2017-2018 में हमने शोध कार्य पर जीडीपी का महज 0.7% खर्च किया था। लिहाजा खर्च के मामले सरकार इतनी बड़ी उछाल कैसे लाएगी इस पर साफ नहीं हो सके। 50% पहुँचाने के लिए सरकार की योजना अभी तय नहीं है। जो 26.3% से बढ़ा कर 50% रखा है। आर्थिक सर्वे 2017-2018 के मुताबिक भारत में प्रति लाख आबादी पर शोध करने वालों की संख्या महज 15 है। सरकार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साढ़े तीन करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात कही गई है। लेकिन फिर वही सवाल है सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या खाका तैयार किया है और सरकार इसे कैसे हासिल करेगी।
9. UGC, AICTE, NCTE की जगह एक ही नियामक होने से शिक्षा के केन्द्रीकरण की आशंका की अनुमान लगाया जाता है। जानकारों के मानना है कि इस नियामक की कमान केन्द्र सरकार के पास होगी इसलिए इससे शिक्षा का केन्द्रीकरण होगा। शिक्षा संस्थानों के स्वायत्ता के राह में बड़ी रूकावट पैदा होगी। जानकारों का कहना है अब जब शिक्षा का विकेन्द्रीकरण करने की समय है तब सरकार बेवजह इसे उलझाने की कोशिश में है। इस स्थिति में केन्द्र सरकार राज्य सरकार की समस्या की अनदेखी कर सकती है।
10. बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से अलग-अलग राज्यों में कई समस्याएँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे केन्द्रशासित प्रदेश में देश के अलग-अलग राज्य से आये लोग रहते हैं। ऐसे में एक ही स्कूल में अलग-अलग मातृभाषा को जानने वाले बच्चे होंगे लिहाजा सवाल है कि उन बच्चों का माध्यम क्या होगा ? एक सवाल यह है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लेकर भी है क्या ऐसे स्कूल स्थानीय भाषा वाले Concept को अपनाने को राजी होंगे? फिर प्राइमरी में ही एक राज्य से दूसरे राज्य सिफ्ट करने वाले माध्यम न बदले इसके लिए सरकार क्या उपाय करेंगे ?

1) संबंधित चुनौतियाँ-

- **महँगी शिक्षा:** नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महँगी होने की संभावना है। परिणामस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
- **शिक्षकों का पलायन:** विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं।

- **शिक्षा का संस्कृतिकरण:** दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
- **संसद की अवहेलना:** विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 भी संसद के द्वारा लागू की गई थी।
- **मानव संसाधन का अभाव:** वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण एक चुनौति भरी राह-

- नई शिक्षा नीति के प्रारूप में प्रारम्भ में ही इसके भारत केन्द्रीत बात कही गई है। इस प्रारूप में ऐसा बहुत कुछ है जो भारत की ज्ञानार्जन परम्परा को आधार बनाकर भविष्य के लिए नई दृष्टि प्रस्तुत करता है। औपचारिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश करने का सुझाव अपने आप में अकेला ही विश्व के ज्ञानोपयोगी, जीवनोपयोगी होने में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। यदि इसके सफल क्रियान्वयन की संकल्पना की जाए तो सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम संरचना और मूल्यांकन पद्धति में त्वरित मूलभूत परिवर्तन करने होंगे।
- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए चार वर्षीय पाठ्यक्रम की संस्तुति सराहनीय है। मगर जहाँ 92 प्रतिशत संस्थान निजी हो, सरकारी संस्थान निराशजनक स्थिति में हो, वहाँ उत्साह के साथ नए पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। यदि शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम भारत केन्द्रीत हो जाएतो इसका सीधा प्रभाव स्कूल शिक्षा पर पड़ेगा तभी एक जीवन्त और गतिशील शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में प्रस्फुटित हो सकेंगी।

संभावनाएँ-

- घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रबल राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।
- 200 शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालयों के पूर्ण शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना जरूरी। ताकि वे वैश्वक नवाचार को बढ़वा देने के लिए अपडेटेड कोर्स में विविधता ला सकें। भारत नवाचार अनुसन्धान में बहुत कम खर्च करता है। 2017-2018 में हमने शोध कार्य पर का महज 0.7% खर्च किया।

- शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को फास्ट ट्रैक वेसिस पर स्थापित करने की आवश्यकता।
- नवाचार विशेषज्ञता प्रतिभा में सुधार के लिए भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज को हर साल पचास हजार से अधिक Ph.D. पैदा करने की दरकार।
- Gross Enrolment Ratio में इजाफा के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार को संस्थानों को समान रूप से विशेष पैकेज एक बहतर उपाय हो सकता है।

निष्कर्ष -

अमूमन सभी नीतियां भली मंशा के साथ तैयार की जाती हैं, लेकिन फर्क इसी बात से पड़ता है कि उन्हें कैसे लागू किया जाता है? विकसित समाज काफी पहले ही इन पहलुओं को अपनी शिक्षा प्रणाली में जोड़ चुके हैं। सभी यूरोपीय देश और यहां तक कि चीन और इजरायल न केवल अपनी स्कूली शिक्षा, बल्कि उच्च शिक्षा को भी अपनी मातृभाषा में सुनिश्चित कर चुके हैं जिससे उनकी मातृ भाषा में ही बेहतर पाठ्य सामग्री और संसाधन उपलब्ध हैं। साथ ही उन्हें अंग्रेजी सीखने से भी गुरेज नहीं होता जो न केवल वैश्विक अनुभव के लिए आवश्यक, बल्कि एक अतिरिक्त लाभ भी है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development-MHRD) का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' (Education Ministry) करने को भी मंजूरी दी गई है।

सन्दर्भग्रन्थसूची (BIBLIOGRAPHY)

- [1]. दुबे शरतेन्दु . सत्य नारायण, अध्यापक शिक्षा, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (2014)।
- [2]. मालवीय. राजीव, समावेशी शिक्षा, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (2018)।
- [3]. मित्तल. सन्तोष, संस्कृतशिक्षणम्, नवचेतना पब्लिकेशन्स, जयपुर (2013)।
- [4]. मालवीय. राजीव, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (2018)।
- [5]. मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार (2020)।
- [6]. विकिपीडिया, नई शिक्षा नीति 2020